

**वन संरक्षक अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)**

भाग-2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या FP/CG/Others/27423/2017

7. परियोजना/स्कीम का स्थान

(i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़ राज्य
(ii) जिला	बस्तर
(iii) वन प्रभाग	बस्तर वन मंडल जगदलपुर
(iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	2.014 हे.
(v) वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वनभूमि— कक्ष क्रमांक 1070 पी, 1086 पी, 1427 पी, 1428 पी, 1932 पी, 1932 पी, 1673 पी, 1672 पी, 1670 पी, 1944 पी एवं 1946 पी रकबा 0.537 हे.। आरक्षित वनभूमि— कक्ष क्रमांक 1334, 1333, 1959, 1966, 1967, 1970, 1972, 1973, 1974, 1975, 2029, 2031, 2032, 2034 एवं 2024 रकबा 0.909 हे.। राजस्व वनभूमि —खसरा क्रमांक 210, 216, 371, 356, 195, 196, 299, 300, 304, 773, 760, 746, 747, 750, 557, 616, 617, 10, 5, 6, 7, 382, 3, 901, 1, 815, 817, 818, 822, 784, 759, 731, 701, 696, 683, 673, 140, 137, 225, 224, 58 एवं 46 रकबा 0.273 हे.। कागेंर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर— कक्ष क्रमांक 89, 165 रकबा क्रमशः 0.162 हे. , 0.133 हे. कुल 0.295 हे.। कुल रकबा 2.014 हे. वनभूमि /राजस्व वनभूमि में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु प्रस्तावित है।
(vi) हरियाली का घनत्व	द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ 'अ', 'ब' स्थल गुण श्रेणी का 0.4 से 0.6 घनत्व है।
(vii) प्रजाति-वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ आर एल, एफ आर एल-2 मीटर की परिगणना और एफ आर एल 4 मीटर भी संलग्न किए जाए)	वृक्षों का विदोहन नहीं किया जायेगा।
(viii) भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	—
(ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित स्थल वनभूमि है।

(x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाएं)	हाँ, कागेंर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर के अंतर्गत कक्ष क्र. 89 रकबा 0.162 हे. एवं कक्ष क्र. 195 रकबा 0.133 हे. कुल 0.295 हे. प्रस्तावित है।
(xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं।
(xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबंधी प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं।
8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग - 1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जाचें गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	प्रस्तावित भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है
9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं।
10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:- (i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/ आस पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। (ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/ अवकमित वन क्षेत्र, और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। (iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी,	आवश्यकता नहीं। आवश्यकता नहीं। आवश्यकता नहीं।

समय अनुसूची लागत ढांचा आदि। (iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। (v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टि से सक्षमप्राधिकरण से प्रमाणपत्र (संबंधित वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	आवश्यकता नहीं। आवश्यकता नहीं।
11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi,xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	प्रतावित क्षेत्र 40.000 हे० कम होने के कारण वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट आवश्यक नहीं है
12. विभाग/जिला प्रोफाइल (i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र (ii) जिले का वन क्षेत्र (iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	4091.000 वर्ग कि०मी० अरक्षित वन — 1083.761 वर्ग कि.मी. संरक्षित वन — 661.326 वर्ग कि.मी. असिंमांकित वन — 466.720 वर्ग कि.मी. 2211.807 वर्ग कि.मी. कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना — 595.630 हे० प्र०म०ग्र०स०यो० गिट्टी उत्खनन ग्राम उडियापाल,डिलमिली इरपा — 2.400 हे० बी०आर०ओ० सडक चौडिकरण —37.031 हे० सर्वेक्षण संग्रहालय निर्माण — 0.789 हे० रेल लाईन निर्माण —10.763 हे० भोण्ड जलाशय — 0.630 हे० पीठापुर जलाशय — 7.860 हे० तारापुर जलाशय —19.448 हे० रक्षा अनुसंधान एवं विकास —132.598 हे० पुलिस चौकी निर्माण —0.900 हे० पानी पाईप लाईन निर्माण —25.720 हे० विद्युत लाईन निर्माण —4.712 हे० जल विद्युत परियोजना —19.718 हे० योग 848.199 हे०

(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर (v) तक प्रति पूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वनभूमि (ख) वनेत्तर भूमि पर	नहीं। नहीं। वैकल्पिक वृक्षारोपण — 5635.000 हे० आर.डी.एफ — 6200.000 हे० <u>योग</u> — <u>11835.000 हे०</u> 30.00 हेक्टेयर
13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	आवेदक छ.ग. इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी रायपुर छ. ग. द्वारा बस्तर वनमण्डल के परिक्षेत्र भानपुरी, बस्तर, बकावण्ड, जगदलपुर, चित्रकोट, कोलेंग एवं दरभा के अंतर्गत संरक्षित वनभूमि कमांक 1070 पी, 1086 पी, 1427 पी, 1428 पी, 1932 पी, 1932 पी, 1673 पी, 1672 पी, 1670 पी, 1944 पी एवं 1946 पी रकबा 0.537 हे., आरक्षित वनभूमि कक्ष कमांक 1334, 1333, 1959, 1966, 1967, 1970, 1972, 1973, 1974, 1975, 2029, 2031, 2032, 2034 एवं 2024 रकबा 0.909 हे., राजस्व वनभूमि खसरा कमांक 210, 216, 371, 356, 195, 196, 299, 300, 304, 773, 760, 746, 747, 750, 557, 616, 617, 10, 5, 6, 7, 382, 3, 901, 1, 815, 817, 818, 822, 784, 759, 731, 701, 696, 683, 673, 140, 137, 225, 224, 58 एवं 46 रकबा 0.273 हे. कुल 1.719 हे. प्रस्तावित है, जो कांग्रेस घाटी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के 10 वर्ग कि. मी. के अन्तर्गत आता है। कांग्रेस घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर के अंतर्गत कक्ष क. 89 रकबा 0.162 हे. एवं कक्ष क. 165 रकबा 0.133 हे. कुल 0.295 हे. प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल रकबा 2.014 हे. वनभूमि / राजस्व वनभूमि में ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित है।

दिनांक:- 04/04/2018

स्थान:- जगदलपुर

(राजु अगसिमनि)

(भा.व.से.)

वन मण्डलाधिकारी

वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर